न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 101/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/125

1. परमजीत कौर पुत्री श्री जंगीर सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 1 के डब्ल्यू एम तहसील खाजूंवाला हाल चक 64 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।.
2. सर्वजीत कौर पुत्री श्री जंगीर सिंह पत्नी राजा सिंह जाति मजहबी निवासी 1 के डब्ल्यू एम तहसील खाजूवाला हाल चक 29 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. परमजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पत्नी बीटू सिंह जाति मजहबी निवासी 1 के डब्ल्यू एम तहसील खाजूवाला हाल चक वार्ड नं. 14 मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. लवप्रीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति मजहबी निवासी 1 के डब्ल्यू एम तहसील खाजूवाला हाल वार्ड नं. 4 चक 3 जी डी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. जंगीर कौर पत्नी जंगीर सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 1 के डब्ल्यू एम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. मंगा सिंह
3. लाल सिंह
4. पाल सिंह

   } पिसरान जंगीर सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 1 के डब्ल्यू एम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री धीरेंन्द्र सिंह भदौरिया — अभिभाषक अपीलांट
श्री नायब सिंह बूटर — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3

निर्णय

दिनांक 14.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राज़स्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला के आदेश दिनांक 20.04.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1— अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पति श्री जंगीर सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह के नाम से एक खातेदारी भूमि खाजूवाला तहसील के चक 1 के डब्ल्यू एम 'बी' के मु.नं. 77/53 में किला नंबर 1 ता 25 = 24.05 बीघा कमाण्ड भूमि है। अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 27.02.2020 को हो जाने पर रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष वसीयत दिनांक 28.05.2015 के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2022 पारित कर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि वाके चक 1 के डब्ल्यू एम 'बी' के मु.नं. 77/53 में किला नंबर 1 ता 25 = 24.05 बीघा कमाण्ड भूमि अपीलांट के पिता श्री जंगीर सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 27.02.2020 को हो जाने के बाद हम वारिसान का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा था। अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 28.05.2015 को रेस्पोडेन्ट्स के हक में की थी, जिसे वसीयतकर्ता ने ही उप पंजीयक खाजूवाला के समक्ष दिनांक 07.09.2015 को निरस्त करवा दी और उसकी सूचना रेस्पोडेंट्स को दे दी। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की ओर से विरासतन इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2021 को पेश किया, जो आदिनांक जैरकार है। मगर इसी बीच निरस्तशुदा वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, जिस पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण करने व खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरासतन इंतकाल का प्रकरण वारिसनामा सहित जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय में निरस्तशुदा वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2022 को पेश हुआ तथा उसी दिन ऑर्डरशीट में लिखकर अखबार में आम सूचना का आदेश हो गये। आम सूचना राज्य स्तरीय अखबार में नहीं दी गई और ना ही किसी प्रकार

से समस्त वारिसान की जांच की गई, जबकि विरासतन नामांतरण की कार्यवाही में समस्त वारिसान की सूची लगी हुई थी। अपीलाधीन आदेश मौके की जांच किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर विरासतन इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पति व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 के पिता श्री जंगीर सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह की स्वअर्जित खातेदारी भूमि है, जिसकी उन्होंने रेस्पोडेन्ट्स के हक में दिनांक 28.05.2015 को वसीयत कर दी थी। वसीयतकर्ता श्री जंगीर सिंह की मृत्यु के उपरांत रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का को मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट के लिए लिखा तथा आम सूचना दैनिक युगपक्ष अखबार में प्रकाशित करवायी। वसीयत के गवाहों ने भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर वसीयत के पक्ष में अपनी गवाही दी। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2022 नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील करने का क्षेत्राधिकार ही नही है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कन्टेस्टेड नहीं होने के कारण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) की श्रेणी में नहीं आता। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2022 द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नामांतरण करने व खातेदार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरासतन इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र जैरकार रहते हुए वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.07.2021 को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरासतन इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 22.02.2022 को वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2022 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) की श्रेणी का होने से अपील अपीलांट इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने इकतरफा तौर पर पारित हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि तहसीलदार खाजूवाला उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए व दस्तावेजों की गहनता से जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर